



U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD CPF TRUST.

9th Floor, Shakti Bhawan Extn., Room No. 928

14-Ashok Marg, Lucknow - 226001

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० सीपीएफ० ट्रस्ट,

9^{वाँ} तल, शक्ति भवन विस्तार, कक्ष संख्या - 928.

14, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

पत्रांक : सचिव/उनि०/सीपीएफ ट्रस्ट/48

दिनांक : 19.01.2024

मुख्य अभियन्ता (मा०सं०)
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
9^{वाँ} तल, शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ

357
20/11/24

विषय: सीपीएफ से आवृत्त कार्मिकों का अन्तिम भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है विभिन्न परियोजनाओं से कार्मिक की सेवानिवृत्त, त्यागपत्र एवं मरणोपरान्त होने की दशा में सीपीएफ से आवृत्त कार्मिकों का अन्तिम भुगतान किये जाने का प्राविधान है जिसके अन्तर्गत सीपीएफ ट्रस्ट को अपूर्ण प्रपत्र आपके कार्यालय से अग्रसारित होकर प्राप्त हो रहे हैं।

उपर्युक्त के क्रम में अवगत कराना है कि निम्नवत् सूची से मिलान कराते हुए समीक्षा उपरान्त ही प्रपत्र इस कार्यालय को ससमय प्रेषित करें-

1. CPF form 3
2. Debit Schedule of CPF of last 5 years
3. Up to date subscriptions
4. Service History
5. PAN and Aadhar
6. CPF Slip of Current F.Y.
7. Bank Passbook copy/ cancel cheque (clear copy)
8. No dues
9. OM of Resignation/Retirement approval
10. Death Certificate
11. Legal heir certificate
12. NOC from family member in case of nomination dispute

उपरोक्त समस्त प्रपत्र सहम स्तर से सत्यापित कराने के उपरान्त ही कार्यालय को भुगतान हेतु प्रेषित करें।

SE-11/03/

DGM-02

22/01

12/1/24

मुख्य अभियन्ता
(मा०सं०) उनि०


श्रीमती जी
क.प.प.

US(02)

20/01/2024

(प्रदीप सोनी)
सचिव ट्रस्ट

Rel'de
20/01/24



U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD CPE TRUST.
9th Floor, Shakti Bhawan Extn., Room No. 928
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० सी०पी०एफ० ट्रस्ट,
9^{वाँ} तल, शक्ति भवन विस्तार, कक्ष संख्या - 928,
14, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

पत्रांक : सचिव/जनित/सीपीएफ ट्रस्ट/49

दिनांक : 19.01.2024

मुख्य अभियन्ता (मांसं०)
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
9^{वाँ} तल, शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ

358 ... (मांसं०) / जनित / 20
20/11/24

विषय: सीपीएफ से आवृत कार्मिकों का इन्शुरेन्स धनराशि का अन्तिम भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है विभिन्न परियोजनाओं से कार्मिकों के मरणोपरान्त होने की दशा में सीपीएफ से आवृत कार्मिकों का इन्शुरेन्स धनराशि भुगतान किये जाने का प्रविधान है जिसके अन्तर्गत सीपीएफ ट्रस्ट को अपूर्ण प्रपत्र आपके कार्यालय से अग्रसारित होकर प्राप्त हो रहे हैं।

उपर्युक्त के क्रम में अवगत कराना है कि निम्नवत् सूची से मिलान कराते हुए समीक्षा उपरान्त ही प्रपत्र इस कार्यालय को ससमय प्रेषित करें:-

- 1- Form C/ प्रपत्र 'ग'
- 2- Service History
- 3- PAN and Aadhar
- 4- Bank Passbook copy/ cancel cheque (clear copy)
- 5- No dues
- 6- Death Certificate
- 7- Legal heir certificate
- 8- NOC from family member in case of nomination dispute
- 9- Last 12 month salary detail of employee from the date of death.

उपरोक्त समस्त प्रपत्र सक्षम स्तर से सत्यापित कराने के उपरान्त ही कार्यालय को भुगतान हेतु प्रेषित करें।

SE-01/031
DUM
238
19/1/24
मुख्य अभियन्ता
(मांसं०) जनित

(प्रदीप सोनी)
सचिव ट्रस्ट

US104

20/01/24

Relax
Chilhu
20/01/24